

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2024—आश्विन 5, शक 1946

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् भिण्ड, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. स्था.—2024—2477.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद् भिण्ड जिला भिण्ड की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है.

अनुसूची—एक

नगरपालिका परिषद् भिण्ड, जिला भिण्ड

**अनुसूची-दो**  
**दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन**

क्र.	पद की श्रेणी	पद का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	निशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				योग	रिमाक
					दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें समिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	तृतीय	सहायक ग्रेड 03 (नियमित)	11	1	0	0	1	0	1	स्वीकृत 11 पद वर्तमान में पूर्व से भरे हुए हैं रिक्त होने पर एक पद की पूर्ति की जावेगी.
2.	तृतीय	सहायक राजस्व निरीक्षक (नियमित)	16	1	1	0	0	0	1	
3.	तृतीय	चालक (नियमित)	10	1	1	0	0	0	1	
		चालक (संविदा)	10	1	1	0	0	0	1	
4.	चतुर्थ	जनसेवक (सफाई कर्मचारी) (नियमित)	132	8	0	3	3	2	8	04 पद पूर्व से भरे होने से शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया में है.
		जनसेवक (सफाई कर्मचारी) (संविदा)	263	16	04	04	04	04	16	
5.	चतुर्थ	फायरमैन (नियमित)	20	1	01	00	00	00	1	
6.	चतुर्थ	भृत्य (नियमित)	16	1	0	0	00	01	1	स्वीकृत 16 पद वर्तमान में पूर्व से भरे हुए हैं रिक्त होने पर एक पद की पूर्ति की जावेगी.
		भृत्य (संविदा)	32	2	01	01	00	00	2	
कुल			510	32	9	8	8	7	32	

यशवंत वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

## कार्यालय, नगर परिषद् तलेन, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

तलेन, दिनांक 24 सितम्बर 2024

क्र. / स्था. / 2024 / .1.2.16.... दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद् तलेन जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद द्वारा पदों का चिन्हांकित किया जाकर 'आरक्षित' किया जाता है।

अनुसूची-एक

नगर परिषद् तलेन जिला राजगढ़

अनुसूची -दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद / संवर्ग का नाम (नियमित / संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःसक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 प्रतिशत)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद / संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)	रिमार्क
						दृष्टबाधित और कमदृष्टि (1.5%)	बहरे और सुनने वाले (1.5%)	और लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	7	21	0	0	0	0	0	0	
2		सफाई संरक्षक (संविदा)	14		1	1	0	0	0	1	
योग :-			21	21	1	1	0	0	0	1	

अशोकसिंह ठाकुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.